संख्या-53/2023/287/22-2-2023-17(140)/2022 टी.सी.

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री छबिलाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4927/प्रोबे0अनु0(2)-245/2023(बैठक दिनांक-14-02-2023), दिनांक 14.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री छबिलाल, ग्राम औडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी के पिता की वर्ष 1975 में नृपत व आशाराम ने हत्या कर दी थी जिस रंजिश के कारण दिनांक 27.07.1980 को बंदी द्वारा अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/80 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/34,148 के अन्तर्गत मा0 ए0डी0एस0जे0-1, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1995 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2023 तक 19 वर्ष 08 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 01 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 10.02.2023 तक 62 वर्ष 08 माह 23 दिन है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के रिहा होने पर पुन: अपराध की सम्भावना होने, दोनो पक्षो के मध्य अभी विवाद समाप्त नहीं होने, बंदी द्वारा किया गया अपराध पूरे समाज को प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संध बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निर्गत अभिमत दिनांक 03.02.2023 में बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य कोटि का होने का कारण न्यायालय की राय में बंदी को समयपूर्व रिहाई किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित की गयी है। समिति का अभिमत है कि बंदी के पिता की वर्ष 1975 में नृपत व आशाराम ने हत्या कर दी थी। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 27.07.1980 को बंदी द्वारा अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर आशाराम, नृपत व परशराम नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है तथा मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 03.02.2023 द्वारा बंदी को समयपूर्व रिहाई किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित की गयी है। इस प्रकार बंदी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छत्रपाल पुत्र श्री छविलाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर पूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल (बन्दी संख्या-14912) पुत्र श्री छविलाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-53/2023/287(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हमीरपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- सुश्री रूचिरा गोयल ए0ओ0आर0, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटिशन (एस) (क्रि0) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उनके ई-मेल पत्र दिनांक 20.02.2023 के सन्दर्भ में।

4- अधीक्षक/नोडल अधिकारी, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटिशन (एस) (क्रि0) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in